कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1410 /11–सी–**FP/UP/Road/21661/2016**, लखनऊ, दिनांकः जनवरी 06 ,2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल,
कानपुर।

विषयः– जनपद–कन्नौज में मार्ग एन0एच0–234, चैनेज–142.00 से 123.00 तक तिर्वा से बेला तक फोरलेन चौड़ीकरण हेतु 9.50 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2296 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–2572/14–1, दिनांक 29.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण करने के उपरान्त आनलाईन एवं हार्ड कापी में निम्नलिखित कमियां पायी गयी हैः–

1. वन विभाग, उ0प्र0शासन, भारत सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तो में 18 शर्तो के स्थान पर 16 शर्ते ही अंकित की गयी है। पूर्ण मानक शर्ते संलग्न करे।
2. प्रभावित संरक्षित वनभूमि के दुगुने अवनत वनभूमि पर 09 वर्षो के अनुरक्षण का संक्षिप्त प्राक्कलन संलग्न है, 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न करे, एवं पृष्ठ संख्या–19, 20 पर संलग्न प्राक्कलन प्रस्ताव से पृथक किया जाय।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन करने से सम्बन्धित वचनबद्धता संलग्न नही है, संलग्न करे।
4. एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बढ़ी एन0पी0वी0 की वचनबद्धता संलग्न नही है, संलग्न करे।
5. इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है, किन्तु एन0पी0वी0 की दर त्रुटिपूर्ण आंगणित की गयी है, संशोधित कर गणना संलग्न करे।
6. वनाधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण–पत्र में सील अंकित नही है।
7. परियोजना का संक्षिप्त लीनियर प्लान संलग्न है, अतः चैनेजवाइज विस्तृत लीनियर प्लान, जिसमें वर्तमान आर0ओ0डब्ल्यू0 तथा प्रस्तावित आर0ओ0डब्ल्यू0 की माप दर्शाया गया हो, संलग्न करे।
8. मलवा उत्सर्जन प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न नही है तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी नही है।
9. ऑन लाइन पार्ट–। में नान फारेस्ट लैण्ड शून्य अंकित की गयी है जो त्रुटिपूर्ण है।
10. हार्ड कापी हिन्दी वर्जन का भाग–1 व 2 प्रस्ताव के साथ संलग्न नही है।
11. पृष्ठ संख्या–22 पर संलग्न प्रमाण–पत्र को संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राक्कलन के अनुसार संशोधित करे।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 1410 /11–सी–**FP/UP/Road/21661/2016**, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, पी0डब्ल्यू0डी0, कन्नौज।

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।